फर्द अहकाम
(नियम 26)

अज अदालत सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) ..... मुकाम बाड़मेर

बगताराम ... बनाम ... कुम्भाराम वगैरह

किस्म मुकदमा राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 आर.टी.ए. नं. 105 सन 2021

तारीख हुक्म		नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकुम की तामील में जारी हुए
	वादी बगताराम की ओर से वकील श्री कुम्भाराम चौधरी द्वारा यह वाद राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के अन्तर्गत "प्रशासन गांवो के संग अभियान 2021' स्थान शिविर सरली पर प्रस्तुत किया है 1. वाद पत्र इस न्यायलय के क्षेत्राधिकार का है 2. पक्षकारान पूर्ण है 3. स्टाम्प पूर्ण है 4. दर्ज योग्य है पेश सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रेक) बाड़मेर ...2021	
18/10/2021 सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रेक) बाड़मेर	वादी बगताराम की ओर से वकील श्री कुम्भाराम चौधरी द्वारा यह वाद राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 अन्तर्गत प्रस्तुत कर अंकित किया है कि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 एक ही हिन्दू परिवार के सदस्य है व हिन्दू विधि से शासित होते है तथा वादीगण प्रतिवादी संख्या 1 के आयंश भाग है तथा वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 एक ही पूर्वज करनाराम के वंशज है जिनका वंश वृक्ष निम्नानुसार है। – करनाराम ↓ खेताराम ↓ कुम्भाराम ↓ बगताराम — शामाराम — पप्पूराम	बगताराम कुम्भाराम अधि. पप्पूराम (ह) अधिवक्ता

तारीख हुक्म	हुकम कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
	राजस्व वाद संख्या 105/2021 अनवान बगताराम बनाम कुम्भाराम वगैरा
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) बाड़मेर	वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 के पैतृक संयुक्त खातेदारी की भूमि मौजा लेगो का तला पटवार क्षैत्र सरली तहसील एवं जिला बाड़मेर में खसरा नंबर 1199/898 रकबा 13.04 बीघा खसरा नंबर 1205/946 रकबा 12.18 बीघा खसरा नंबर 1208/951 रकबा 22.03 बीघा, खसरा नंबर 1248/898 रकबा 03 बीघा तथा मौजा डूडियों का तला पटवार मण्डल सरली तहसील व जिला बाड़मेर खसरा नंबर 1223/1063 रकबा 52.16 बीघा की आई हुई है। वादग्रस्त भूमि वादीगण के परदादा करनाराम के खातेदारी की थी तथा करनाराम के नाम से पर्चा लगान जारी हुआ था तथा करनाराम की मृत्यु होने पर रेखाराम का नाम दर्ज हुआ तथा रेखाराम के फौत पर उनके पुत्र प्रतिवादी संख्या 1 का नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज हुआ। इस प्रकार प्रतिवादी संख्या 1 को उक्त भूमि पैतृक रूप से प्राप्त हुई थी तथा वादग्रस्त भूमि पैतृक भूमि की श्रेणी में आने के कारण वादीगण का वादग्रस्त भूमि में जन्म के साथ ही हक हिस्सा निहित हो गया है। वादग्रस्त समस्त भूमि प्रतिवादी संख्या 1 को अपने पिता स्व0 रेखाराम से पैतृक सम्पति के रूप में प्राप्त हुई है तथा जो प्रतिवादी संख्या 1 की पैतृक खातेदारी की भूमि है तथा वादग्रस्त भूमि पैतृक भूमि होने से वादग्रस्त भूमि में वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 का समान 1/4-1/4 हिस्सा पैतृक खातेदारी का है। वादग्रस्त भूमि वक्त सैन्टलमेंट से पूर्व स्व0 करनाराम के कब्जे काश्त की थी तथा सेन्टलमेंट के समय वादीगण के दादा करनाराम के नाम से पर्चा लगान जारी हुआ व सैन्टलमेंट से लेकर आज दिन तक वादग्रस्त भूमि पर वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 का संयुक्त रूप से कब्जा काश्त है इस कारण वादग्रस्त भूमि वादीगण की पैतृक भूमि है और वादीगण अपने पैतृक भूमि में हिन्दु उतराधिकारी अधिनियम के तहत मिलने वाले हिस्से के प्रथम श्रेणी के उतराधिकारी है और हिन्दु उतराधिकार अधिनियम के तहत् वादीगण का वादग्रस्त भूमि में पैतृक हिस्सा है और वादीगण अपने हिस्से अनुसार भूमि का बाहामी बंटवारा कर काबिज है क्योंकि हिन्दु उतराधिकार अधिनियम की धारा 6 के अनुसार हिन्दु पुरुष के पुत्र, पौत्र एवं प्रपौत्र का विधि अनुसार जन्म से ही सहदायिकी अर्थात् पैतृक सम्पति में जन्म से ही अधिकार प्राप्त हो जाता है। राजस्थान सरकार के राजस्व (ग्रुप-6) विभाग द्वार एक परिपत्र क्रमांक प. 5(1)राजस्व-6/97/18 दिनांक 08.01.2007 जारी कर स्पष्ट आदेश पारित किया है कि "विभागीय परिपत्र दिनांक 08.09.1997 द्वारा यह स्पष्ट किया गया कि पुत्र को अपने पिता की पैतृक भूमि जन्म से ही अधिकार है। हिन्दु उतराधिकार अधिनियम में पिता की पैतृक सम्पति में पुत्र/पुत्री दोनों ही जन्म से ही अधिकार होता है। इसलिये पुत्र/पुत्री दोनों ही अपने पिता की पैतृक भूमि मे पिता के जीवनकाल में ही जोत का विभाजन करा सकते है। पैतृक कृषि भूमि में पिता के साथ-साथ पुत्र/पुत्री भी सह कृषक है चाहे राजस्व रिकार्ड में इसका अंकन नहीं भी हो, इसलिये पुत्र/पुत्री अपने पिता की पैतृक भूमि में पिता के जीवनकाल में ही सहकृषक होने के नाते राज0काश्त0अधि0 की धारा 53 के अनुसार जोत का विभाजन करा सकते है।" इसी प्रकार इसी परिपत्र में आगे अंकिन किया है कि "यदि पैतृक भूमि के जोत विभाजन के संबंध में पिता या अन्य पुत्र/पुत्री सहमत नहीं हो तो ऐसी अवस्था में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88 के तहत सक्षम न्यायालय में घोषणात्मक वाद पेश कर जोत का विभाजन करवाया जा सकता है।" विवादित भूमि पैतृक भूमि होने से एवं हिन्दू उतराधिकारी अधिनियम की धारा 6 व 8 के अनुरूप वादीगण विवादित भूमि में वादिगण प्रत्येक का 1/4-1/4 हिस्से की घोषणा करवाने के अधिकारी है। जिस हेतु घोषणा का वाद श्रीमान् जी के समक्ष है। प्रतिवादी संख्या 01 जो वादीगण से ईष्या पूर्ण व्यवहार रखता है एवं प्रतिवादी संख्या 1 वृद्वावस्था में होने के कारण व वादीगण अपने-अपने परिवार सहित बाहर निवास करने के कारण अन्य भूमाफियों के प्रभाव के कारण तथा वर्तमान में भूमि की कीमतों में अप्रत्याशित वृद्वि होने के कारण गांव के भूमाफियाओं द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 को लालच एव प्रलोभन देकर व उसको अपने अनुचित प्रभाव में लेकर वादीगण की जानकारी के बिना वादग्रस्त आराजी में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज समस्त भूमि का हस्तातरण करवाने पर आमादा है तथा वादीगण को उनकी पैतृक व सहदायिकी भूमि से वंचित करना चाहते है तथा वादीगण को उसके हक व हिस्से की भूमि से हमेशा से महरूम करने पर प्रयासरत है जिस पर वादीगण द्वारा कई बार प्रतिवादी संख्या 1 को समझाया जा चुका है लेकिन प्रतिवादी संख्या 1 अन्य लोगों के अनुचित प्रभाव में आ गया है और अपनी हठधर्मिता पर आ गया है और वादग्रस्त भूमि बेचान व हंस्तान्तरण करने पर आमादा है व वादीगण को उसके कब्जा काश्त व रहवासीय ढ़ाणी से बेंदखल करना चाहते है। जबकि वादग्रस्त आराजी वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 की पैतृक भूमि होने के कारण उतराधिकार अधिनियम के तहत

वादीगण का वादग्रस्त आराजी में जन्म से हक व अधिकार उत्पन्न होने के कारण प्रतिवादी संख्या 1 को वादीगण के हिस्से व कब्जा की भूमि को बेचान व हस्तारण करने का कोई विधिक अधिकार हासिल नहीं है क्योंकि यदि प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा राजस्व रेकर्ड में नाम अंकित होने का गलत फायदा उठाकर वादीगण को उतराधिकार के रूप में मिलने वाली भूमि से वंचित रखकर बेचान व हस्तातरण कर दिया गया तो वादीगण अपूरणीय क्षति होगी तथा राजस्व रेकर्ड में भारी रद्दोबदल हो जायेगा जिससे रेकर्ड में पेचिदगियां बढ जायेगी जबकि प्रतिवादी को ऐसा करने का कोई अधिकार हासिल नही है। वादीगण को यह अधिकार है कि वो वादग्रस्त आराजी जो कि वादीगण की पैतृक भूमि है में उतराधिकार के तहत् मिलने वाले हिस्सा की भूमि घोषित करवाने के वैध अधिकारी है तथा प्रतिवादीगण के विरूद्व स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी है जिस हेतु यह वाद शोतदारी घोषणा का श्रीमानजी के समक्ष पेश है। वाद कारण आज से अरसा लगभग एक माह पूर्व जब प्रतिवादी संख्या 1 अन्य लोगो के बहकावे व अनुचित प्रभाव व दबाव में आकर वादीगण को उनकी पैतृक भूमि में उतराधिकार के रूप में मिलने वाली भूमि से वंचित रखने के लिये भूमि हस्तातंरण व बेचने की धमकियां दी गयी व वादीगण को उनके कब्जे काश्त से बेदंखल करने की कोशिश की गयी तब बमुकाम लेगों का तला व डूडियों का तला पटवार क्षेत्र सरली तहसील व जिला बाड़मेर में पैदा हुआ। वाद श्रीमान् के न्यायालय के श्रवणा क्षेत्राधिकार का है। अतः वादीगण का वाद पेश कर श्रीमान् जी से निवेदन है कि निम्नांकित आशय की डिकरी बहक वादीगण विरूद्व प्रतिवादी संख्या 1 निम्न सादिर फरमाई जावें। वादग्रस्त आराजी मौजा लेंगो का तला पटवार क्षेत्र सरली तहसील व जिला बाड़मेर में खसरा नंबर 1199/898 रकबा 13.04 बीघा खसरा नंबर 1205/946 रकबा 12.18 बीघा, खसरा नंबर 1208/951 रकबा 22.03 बीघा, खसरा नंबर 1248/898 रकबा 03 बीघा तथा मौजा डूडियों का तला पटवार क्षेत्र सरली तहसील व जिला बाड़मेर खसरा नंबर 1223/1063 रकबा 52.16 बीघा भूमि वादीगण की पैतृक होने से वादीगण प्रत्येक का 1/4–1/4 हिस्सा खातेदारी की घोषित की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। प्रस्तुत आवेदन लोक अदालत की भावना से वाद के रूप में धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत दर्ज रजिस्टर किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत वंश वृक्षावली के आधार पर वादग्रस्त भूमि पैतृक सम्पति है। करनाराम के फौत होने पर उसके पुत्र रेखाराम नाम एवं रेखाराम के फौत होने पर नामान्तरकरण संख्या 60/20.06.2019 के द्वारा कुम्भाराम के नाम राजस्व रेकर्ड में अमलदरामद किया गया। वादीगण व प्रतिवादी मुतवफी रेखाराम के पुत्र एवं पौत्र है, प्रथम श्रेणी के वारिसान है। इस प्रकार वादग्रस्त खेतों में वादीगण का 1/4, 1/4 हिस्सा तथा प्रतिवादी का 1/4 हिस्सा दर्ज होना चाहिए इस संबंध मे प्रतिवादी द्वारा शिविर मे मजमे आम मे उपस्थित होकर अपनी सहमती दी गई।

अतः आपसी रजामन्दी से प्रस्तुत वाद लोक अदालत की भावना से स्वीकार किया जाकर मौजा लेंगो का तला पटवार क्षेत्र सरली तहसील व जिला बाड़मेर में खसरा नंबर 1199/898 रकबा 13.04 बीघा खसरा नंबर 1205/946 रकबा 12.18 बीघा, खसरा नंबर 1208/951 रकबा 22.03 बीघा, खसरा नंबर 1248/898 रकबा 03 बीघा तथा मौजा डूडियों का तला पटवार क्षेत्र सरली तहसील व जिला बाड़मेर खसरा नंबर 1223/1063 रकबा 52.16 बीघा भूमि वादीगण की पैतृक होने से वादीगण प्रत्येक का 1/4–1/4 हिस्सा खातेदारी की घोषित किया जाता है। तहसीलदार बाडमेर तदनुसार राजस्व अभिलेख में अंकन करे। डिकरी पर्चा मुर्तिब हो। खर्चा पक्षकारान् अपना–अपना वहन करें। पत्रावली सुमार फैसल होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय मजमे आम में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) बाड़मेर